जो पेश हो।

31/7/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

पत्रावली पेश हुई। अतः उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज सुनाया गया। अपील अपीलार्थी फैसला शुदा होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद तकमील कार्यवाही दा. दफ्तर हो। हुक्मनामा,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या– 12/2016

जीसीएमएस– 2016/00388

दायर दिनांक– 04.07.2016

निर्णय दिनांक– 29.07.2024

बउनवान

1. श्री चन्दर पुत्र मंगला जाति मीना निवासी कटहेड़ा तहसील कठूमर, अलवर।

...अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर पंचायत समिति कठूमर, अलवर।
2. श्री श्योजीराम पुत्र खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
3. श्री नेतराम पुत्र खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
4. श्री हेतराम पुत्र खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
5. श्री अमरसिंह पुत्र खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
6. श्री विजयराम पुत्र खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
7. रकमो पुत्री खिलारी जाति मीना निवासी कटहेडा तहसील कठूमर, अलवर।
8. कमला पुत्री खिलारी जाति मीना निवासी कटहेड़ा तहसील कठूमर, अलवर।
9. पंजाब नेशनल बैंक समूँची शाखा समूँची तहसील कठूमर, अलवर।

.......रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05.12.2015 विरासत इन्तकाल संख्या 946 ग्राम कटहेडा ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री सुभाष चन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री देवेन्द्रसिंह नरूका अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3. राधेश्याम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 2 से 6

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील के विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 895, 531, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 546/928, 550, 555, वाके ग्राम कटहेडा, ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर में स्थित है, जो खिलारी पुत्र मंगला मीना

29.3.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

निवासी कटहेडा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, तथा खसरा नम्बर 10/991 वाके ग्राम कटहेडा तहसील कठूमर अपीलाण्ट चन्दर पुत्र मंगला जाति मीना की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो इसी अनुसार जमाबन्दी हाल में दर्ज है। अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 10/991, से रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ला 8 व इनके पिता का कभी कोई संबध व सरोकार नहीं रहा है और ना ही अब है। खिलारी पुत्र मंगला का स्वर्गवास हो गया। मृतक का विरासत इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम कटहेडा पटवारी हल्का ने उसके वारिसान रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ला0 8 के नाम भरा जिस इन्तकाल में गलती से पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 10/991 को भी जोड दिया। खिलारी के वारिसान ने जान बुझकर खिलारी उर्फ चन्दर बताकर खसरा नम्बर 10/991 का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त खसरा नम्बर अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है। अपीलाण्ट जीवित है,तथा जमाबन्दी रेकार्ड ऑफ राईट है, जिसमें हो रहे पूर्व इन्द्राज को बदलने का पटवारी को कोई हक व अधिकार नही है। पटवारी द्वारा जमाबन्दी में चन्दर उर्फ खिलारी दर्ज कर अहम गलती की है। जिस इन्तकाल को ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने बिनां बुलाये ही फैसल कर दिया जिस गलत इन्द्राज की वजह से अपीलाण्ट के हक हकूक जायल हो रहे है जबकि गांव में चन्दर उर्फ रामखिलाडी नाम का कोई व्यक्ति नही हैं। इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 946 दिनांक 05.12.2015 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से गलत नाम तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 946 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2016 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल बनवाने जाने के दौरान रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 946 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। दिनांक 05.12.2016 से 04.07.2016 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है। विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 946 दिनांक 05.12.2015 वाके ग्राम कटहेडा ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर, अलवर निरस्त कर अपील

29.3.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर इन्तकाल संख्या 946 में जो खसरा नम्बर 10/991 का सहवन से गलत इन्द्राज होना व बाकी खसरा नम्बर विरासत इन्तकाल सही है मान लिया है एवं रेसपोडेण्टस संख्या 2 ला0 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील में पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 946 वाके ग्राम कटहेडा ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर द्वारा सही दर्ज किया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी सही निर्णय किया है। अपीलाण्ट ने अपील में सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। उक्त आराजी पर एक वाद श्रीमान के न्यायालय में चला है,जो दिनांक 27.03.1987 को अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया। जिस वाद–पत्र में अपीलाण्ट वादी के द्वारा रेस्पोडेण्टस के पिता को खिलारी उर्फ चन्दर पुत्र मंगला जाति महर मीना दर्ज करते हुऐ दावा पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 13.6.1989 को अपीलाण्ट द्वारा आज तक चैलेन्ज नही किया है।जिससे चन्दर पुत्र मंगला महर मीना के नाम से स्वीकार हुआ है, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में तभी से चन्दर पुत्र मंगला महर मीना के नाम से इन्द्राज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत के जवाब पर सरपंच व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर कराये बिना पेश है जो कि जवाब अमान्य है। अपीलाण्ट मीमरोट मीणा है, जबकि रेस्पोडेण्ट महर मीना है। जिसके कारण अपील अपीलाण्ट साबित ना होने कारण खारिज की किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के जबाव व इंतकाल की सत्य प्रतिलिपी दोषपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। बहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 946 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2016 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 946 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश, की है। ऐसे मामलों में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

मानवीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रुख अपनाया है। इसलिए प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट कन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि खिलाडी पुत्र मंगला मीना निवासी कटहेडा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। खसरा नम्बर 10/991 वाके ग्राम कटहेडा तहसील कठूमर अपीलाण्ट कन्दर पुत्र मंगला जाति मीना की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो इसी अनुसार जमाबन्दी हाल में दर्ज है। अपीलाण्ट के आराजी खसरा नम्बर 10/991, से रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ता 8 व इनके पिता का कोई कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और ना है। खिलाडी पुत्र मंगला का स्वर्गवास हो गया। मृतक का विरासत इन्तकाल संख्या 948 वाके ग्राम कटहेडा पटवारी हल्का ने उसके वारिसान रेस्पोडेण्टस संख्या 2 ता0 8 के नाम भरा जिस इन्तकाल में गलती से पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 10/991 को भी जोड दिया। खिलाडी के वारिसान ने जान बूझकर खिलाडी उर्फ कन्दर बताकर नम्बर 10/991 का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है उक्त खसरा नम्बर अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है। अपीलाण्ट जीवित है,तथा जमाबन्दी रेकार्ड ऑफ राईट है, जिसमें हो रहे पूर्व इन्द्राज को बदलने का पटवारी को कोई हक व अधिकार नही है। पटवारी द्वारा जमाबन्दी में कन्दर उर्फ खिलाडी दर्ज कर अहम गलती की है। जिस इन्तकाल को ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने बिना बुलाये ही फैसल कर दिया जिस गलत इन्द्राज की वजह से अपीलाण्ट के हक हकूक जायल हो रहे है जबकि गांव में कन्दर उर्फ रामखिलाडी नाम का कोई व्यक्ति नही हैं। इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 948 दिनांक 05.12.2015 खिलाफ कानून विधि विरुद्ध तरीके से गलत नाम तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 948 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2016 को पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड की फाइल बनवाये जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 948 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। विवादित इन्तकाल ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 946 दिनांक 05.12.2015 वाके कटहेडा ग्राम पंचायत खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।
रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता ने बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अपील में पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 946 वाके ग्राम कटहेडा ग्राम पंचायत द्वारा सही दर्ज किया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी सही निर्णय किया है अपीलाण्ट ने अपील में सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त आराजी पर एक वाद श्रीमान के न्यायालय में चला है,जो दिनांक 27.03.1987 को अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया गया। जिस वाद पत्र में अपीलाण्ट वादीया के द्वारा रेस्पोडेण्टस के पिता को खिलारी उर्फ चन्दर पुत्र मंगला जाति महर मीना दर्ज करते हूये दावा पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। नामान्तरकरण 365 दिनांक 13.6.1989 को अपीलाण्ट द्वारा आज तक चैलैन्ज नही किया है, जो चन्दर पुत्र मंगला महर मीना के नाम से स्वीकार हुआ है। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में तभी से चन्दर पुत्र मंगला महर मीना के नाम से इन्द्राज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत के जवाब पर सरपंच व ग्राम सचिव के हस्ताक्षर कराये बिना पेश है जो कि जवाब अमान्य है। बैक बिना टाईटल एवं पजेशन के ऋण स्वीकृत नही करती है। उक्त आराजीयात पर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा रेस्पोडेण्ट का होना साबित है। अपीलाण्ट मीमरोट मीणा है, जबकि रेस्पोडेण्ट महर मीना है। जिसके अनुसार अपीलाण्ट अपील को साबित करने में असफल रहे है। अपील अपीलाण्ट साबित ना होने कारण खारिज की किये जाने योग्य है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

29.3.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

–::आदेश::–

अतः उभय पक्ष अभिभाषक की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है। अपील अपीलाण्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर